FORM NO. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)
नाम अदालत **जिला कलक्टर अलवर** मुकाम **अलवर**
उनवान **मुस्तकीम** बनाम **सरकार जरिये एसएचओ लक्ष्मणगढ़, अलवर**
किस्म मुकदमा **प्रार्थना–पत्र सुपुर्दगी आर बी एक्ट**
प्रा0पत्र नम्बर 15/02/2025 दायर दिनांक 08.01.2025

तारीख हुक्म	हुक्म की कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
29.07.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप0। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। प्रकरण में जब्तशुदा वाहन कंटीनर केन्ट्रा टाटा रजि0 संख्या एच.आर.–74–बी.–2624 को सुपुर्दगी पर दिये जाने बाबत थानाधिकारी थाना लक्ष्मणगढ़ से अभिशंषा/टिप्पणी ली गयी। थानाधिकारी द्वारा दिनांक 19.05.2025 को न्यायालय हाजा में रिपोर्ट पेश कर अवगत कराया कि "पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य मय जप्त सुदा फर्दात के आधार पर वाहन स्वामी केन्ट्रा नम्बर एच.आर.–74–बी.–2624 के वाहन स्वामी श्री मुस्तकीम पुत्र शेरमौहम्मद मेव निवासी कैराका पुलिस थाना नूंह सदर जिला मेवात हरियाणा के खिलाफ धारा 5,6,8 आरबीएक्ट व धारा 3/181 एमवीएक्ट का अपराध बखूबी सावित पाया जाने पर प्रकरण हाजा में चार्ज नं0 466 दिनांक 25.12.2024 किता की जाकर जरिये रोड नं. 29 दिनांक 18.02.2025 को माननीय ए.सी.जे.एम. लक्ष्मणगढ़ अलवर में पेश की जा चुकी है।" हमने वकील प्रार्थी की बहस व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं थानाधिकारी की रिपोर्ट का अवलोकन किया। प्रार्थी मुस्तकीम को न्यायालय अपर सैशन न्यायाधीश लक्ष्मणगढ़ द्वारा जमानत प्रा0पत्र सं0 416/2024 सी.आई.एस. नम्बर 265/2024 अन्तर्गत धारा 483 बीएनएसएस प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 140/2024 थाना लक्ष्मणगढ़ अपराध अन्तर्गत धारा 5, 6, 8 आरबीएक्ट में दिनांक 21.12.2024 को निर्णय पारित कर प्रार्थी मुस्तकीम जमानत पर रिहा करने के भी आदेश दिये है। न्यायालय के उपरोक्त तथ्यों के आधार पर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से स्पष्ट	

है कि जप्तशुदा वाहन का स्वामी प्रार्थी मुस्तकीम है। जिसे दैनिक कार्य एवं आजीविका हेतु उक्त जप्तशुदा वाहन की आवश्यकता है। अतः प्रार्थी मुस्तकीम को जप्तशुदा वाहन की आवश्यकता को देखते हुए प्रा0पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिये जाते है कि यदि प्रार्थी 5,00,000/– (शब्देन पांच लाख रूपये मात्र) का सुपुर्दनामा एवं इसी कदर तस्दीकशुदा जमानतनामा पेश करे। प्रार्थी सुपुर्दनामे पर दिये गये वाहन को खुर्द–बुर्द नहीं करेगा, जब भी उक्त वाहन की न्यायालय हाजा अथवा अन्य न्यायालय को आवश्यकता होगी तो वाहन को प्रस्तुत करना होगा। वास्ते पेश करने सुपुर्दनामा/तस्दीकशुदा जमानतनामा पत्रावली दिनांक 05.08.2025 को पेश हो।

जिला कलक्टर
अलवर

5/8/25

आज पत्रावली पेश हुई प्रार्थी वकील उप0। प्रार्थी व प्रार्थी वकील ने जप्त शुदा वाहन के सुपुर्दनामा/जमानतनामा पेश किया गया। उप0 लि0 विधिक रहे। प्रस्तुत सुपुर्दनामा एवं जमानतनामा का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत सुपुर्दनामा एवं जमानत नामा बाद गौर तस्दीक किया जाता है। सम्बन्धित अधिकारी को जप्त शुदा वाहन सुपुर्दगी पर दिये जाने हेतु तहरीर जारी हो। बाद पूर्ति पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से खारिज कि जाकर दाखिल दफ्तर हो।

जिला कलक्टर
अलवर (राज0)